



NDIS का प्रबंध करने के विकल्प

This project is an NDIS Information, Linkages and Capacity Building (ILC) initiative. For more ILC events and resources please visit <http://www.disability.wa.gov.au/wa-ndis/wa-ndis/information-linkages-and-capacity-building/resources/>

आप अपनी NDIS योजना का प्रबंध करने के लिए तीन अलग-अलग तरीकों का चयन करने में समर्थ हैं। आप अपनी योजना के अलग-अलग भागों के लिए इन प्रबंधन विकल्पों में से कोई एक या इन्हें संयोजन में चुन सकते हैं। आपके तीन विकल्प हैं:

1. आत्म प्रबंधन
2. योजना प्रबंधन
3. एजेंसी प्रबंधन

आत्म प्रबंधन


- आत्म प्रबंधन वह परस्थिति है जब आपको अपनी योजना में शामिल धन (फंड) और सहायता का पूरा नियंत्रण और इसकी पूरी जम्मेदारी होती है।
- आपको NDIS से अपनी धन-राशि (भुगतान नविदन) प्राप्त होते हैं और आप अपनी सहायताओं व सेवाओं का भुगतान करते हैं।





योजना प्रबंधन

- योजना प्रबंधन वह परस्थिति है जब आप NDIS से अपनी धन-राशि (भुगतान नविदन) प्राप्त करने के लिए एक योजना प्रबंधक प्राप्त करते हैं और वह प्रबंधक आपके लिए आपकी सहायताओं व सेवाओं का भुगतान करता है।
- यह ज़रूरी है कि आपका योजना प्रबंधक NDIS के साथ रजिस्टर्ड हो।
- यदि आपका कोई योजना प्रबंधक है, तो आपकी योजना में आपके योजना प्रबंधक को उसकी सेवाओं के लिए भुगतान करने हेतु अतिरिक्त धन-राशि (फंडिंग) होगी।

एजेंसी प्रबंधन

- एजेंसी द्वारा प्रबंधन उस परस्थिति में होता है जब NDIS आपके लिए आपके सेवा प्रदाताओं को भुगतान करती है।
- आपके सेवा प्रदाताओं की यह जम्मेदारी होती है कि वे आपको प्रदान की जाने वाली सहायताओं व सेवाओं के खर्च का भार उठाने के लिए NDIS से धन-राशि (भुगतान नविदन) प्राप्त करें।



	आत्म प्रबंधन	योजना प्रबंधन	एजेसी (NDIA) प्रबंधन
 <p>क्या मुझे NDIS के साथ रजिस्टर्ड प्रदाताओं से (खरीद) सेवाएँ मलि सकती हैं?</p>	हाँ 	हाँ 	हाँ 
 <p>क्या मुझे गैर-रजिस्टर्ड प्रदाताओं से (खरीद) सेवाएँ मलि सकती हैं?</p>	हाँ 	हाँ 	नहीं 
 <p>क्या मैं अपने लिए खुद कर्मचारियों की नयिक्ता कर सकता हूँ?</p>	हाँ 	हाँ 	NDIA द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
 <p>यदि मैं अपने लिए खुद कर्मचारियों की नयिक्ता करता हूँ तो क्या मेरे कोई कानूनी दायित्व हैं?</p>	हाँ 	हाँ 	हाँ 
 <p>क्या मुझे धन-राशि (भुगतान नविदन) लेने होंगे और अपनी सहायताओं व सेवाओं का भुगतान करना होगा?</p>	हाँ 	नहीं 	नहीं 
 <p>क्या मुझे उचित रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे?</p>	हाँ 	नहीं 	नहीं 
 <p>क्या मुझे NDIS की प्राइस गाइड (मूल्य संदर्शिका) का अनुसरण करना होगा?</p>	नहीं 	हाँ 	हाँ 
 <p>क्या मुझे इस बारे में जानकारी मलिंगी कि मैंने अपना बजट किस चीज़ पर खर्च किया है और कतिना बजट बाकी है?</p>	हाँ 	हाँ 	हाँ 
 <p>क्या मुझे इस प्रबंधन विकल्प के लिए अपनी योजना में अतिरिक्त धन-राशि (फंड्स) मलिंगे?</p>	नहीं 	हाँ 	नहीं 
 <p>क्या सर्वसि बुकगि करनी ज़रूरी होगी?</p>	नहीं 	हाँ 	हाँ 

(हालाँकि, सभी योजना प्रबंधन पेरोल के लिए तैयार नहीं किए गए होते हैं)



(आपका योजना प्रबंधक करता है)



(आपके योजना प्रबंधन को विशिष्ट रूप से भुगतान करने के लिए अतिरिक्त धन-राशि होगी)



(नहीं, आपकी योजना के उन भागों के लिए जिनका आत्म-प्रबंधन किया जाता है)



	<p>क्या मुझे एक अलग बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी?</p>	<p>हाँ  (NDIA इसका कड़े रूप में सुझाव देती है, पर यह अनविरय नहीं है) </p>	<p>नहीं </p>	<p>नहीं </p>
	<p>क्या सेवा अनुबंध का होना ज़रूरी है?</p>	<p>नहीं  (हालाँकि इसका कड़े रूप से सुझाव दिया जाता है) </p>	<p>नहीं  (हालाँकि इसका कड़े रूप से सुझाव दिया जाता है) </p>	<p>नहीं  (हालाँकि इसका कड़े रूप से सुझाव दिया जाता है) </p>
	<p>क्या मेरी सहायताओं व सेवाओं की गुणवत्ता की एकमात्र जम्मेदारी मेरी है?</p>	<p>हाँ </p>	<p>हाँ </p>	<p>नहीं  (रजिस्टर्ड प्रदाता पहले से ही NDIS के साथ रजिस्टर्ड होने के लिए एक गुणवत्ता प्रक्रिया से गुजरे हैं) </p>
	<p>क्या योजना की समीक्षा से पहले मुझे यह जांच करनी होगी कि अपनी योजना में दर्शाए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ?</p>	<p>हाँ  (हो सकता है कि आपको अपनी योजना समीक्षा के लिए प्रदाताओं से रिपोर्ट्स लेने के लिए कहा जाए) </p>	<p>हाँ  (हो सकता है कि आपको योजना समीक्षा के लिए प्रदाताओं से रिपोर्ट्स लेने के लिए कहा जाए) </p>	<p>हाँ  (सेवा प्रदाताओं को NDIA को प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा जा सकता है) </p>